उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में पुस्तक प्रकाशक/आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, विवरण एवं शर्तें

क्र0 सं0	पंजीकरण सम्बन्धी मानक	पंजीकरण सम्बन्धी शर्तों का विस्तृत विवरण
1.	पंजीकरण हेतु योग्यता	(1) कोई भी भारतीय नागरिक जो संस्था का संचालनकर्ता, निर्माणकर्ता फर्म, एकल ठेकेदार पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है।
		(2) राज्य एवं भारत सरकार के कार्मिक, राजकीय विभागों में काली सूची/दिवालिया घोषित फर्म/एकल व्यक्ति, पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
		(3) आपूर्तिकर्ता/एंजेसी किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग या शैक्षणिक संस्थान द्वारा काली सूची में न डाला गया हो।
		(4) आपूर्तिकर्ता/एंजेसी को केंद्रीय /राज्य विश्वविद्यालयों, यूजीसी–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों या सरकारी विभागों को अध्ययन सामग्री की आपूर्ति का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (5) आपूर्तिकर्ता/एंजेसी अधिप्राप्तिकर्ता इकाई में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार न हो।
2.	पंजीकरण की अवधि	वित्तीय वर्ष 2026–27 अन्तर्गत पुस्तक प्रकाशन/आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण का पंजीकरण जारी होने तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक मान्य रहेगा। पंजीकरण, वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि के उपरान्त स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4.	पंजीकरण हेतु सामान्य शर्ते	(1) सूचीबद्धता आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र–1) – विधिवत भरा हुआ
		(2) काली सूची में न होने का शपथ पत्र (प्रपत्र–2)
		(3) आपूर्ति क्षमता वचन–पत्र (प्रपत्र–3)
		(4) कार्टल न बनाने का घोषणा–पत्र (प्रपत्र–4)
		(5) पिछले तीन वर्षो के आपूर्ति आदेशों का विवरण (प्रपत्र–5)
		(6) ग्राहक संस्थानों की सूची एवं आपूर्ति आदेशों की प्रतियाँ (प्रपत्र–6)
		(7) पिछले तीन वर्षो के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/कारोबार प्रमाण
		(8) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
		(9) पैन कार्ड की प्रति
		(10) फर्म पंजीकरण/दुकान–स्थापना प्रमाण पत्र की प्रति
		(11) कैंसिल चैक/बैंक खाता विवरण (भुगतान हेतु)
		(12) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्राधिकार पत्र
		उपरोक्त समस्त संलग्न दस्तावेज स्व–प्रमाणित/स्पष्ट होने चाहिए।
5.	पंजीकृत ठेकेदारों के पंजीकरण का निरस्तीकरण/काली सूची में डालना	प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने, किसी भी नियम, विधि एवं कानून का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर पंजीकरण निरस्त करने एवं काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जायेगी। विवाद की स्थिति में उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा। न्यायिक विवाद होने पर विवाद का न्याय क्षेत्र हल्द्वानी होगा। किसी भी क्षति हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
6.	आवेदन पंजीकरण की प्रकिया	आवेदन पत्र के समस्त प्रारूपो को विधिवत भरकर रू0 500.00 + 18 प्रतिशत जी0.एस0.टी0 (रू. 590.00) के नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **उप निदेशक वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी** के नाम निरूपित कर दिनांक 11.08.2026 तक मुख्य वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी के कार्यालय में डाक/दस्ती से प्रेषित कर सकते हैं।

प्रभारी उप निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी
उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी,
हल्द्वानी

भरे जाने वाले प्रपत्र

प्रपत्र 1 : सूचीबद्धता आवेदन प्रपत्र

एजेंसी / फर्म का नाम	
पूरा डाक पता	
मूल प्रकाशक / आपूर्तिकर्ता का नाम	
संपर्क व्यक्ति एवं पदनाम	
दूरभाष / मोबाइल नंबर	
ई-मेल	
फर्म पंजीकरण संख्या	
जीएसटी संख्या	
पैन संख्या	
बैंक खाता संख्या / IFSC	
स्थापना का वर्ष	
अनुभव (वर्षों में)	
पिछले 3 वर्ष का औसत वार्षिक कारोबार (रु.)	
किस प्रकार की सामग्री की आपूर्ति (पुस्तक / जर्नल / दोनों)	

हस्ताक्षर : ____________________ दिनांक : ______________ मुहर :

प्रपत्र 2 : काली सूची में न होने का शपथ पत्र

(₹ 100 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करें)

मैं / हम ______________________ (एजेंसी का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय ______________________ पर स्थित है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करते हैं कि :

- हमारी एजेंसी तथा हमारा मूल प्रकाशक / आपूर्तिकर्ता किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विभाग या किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा काली सूची (black listed) में नहीं डाला गया है।
- हमारे विरुद्ध आपूर्ति में अनियमितता का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।
- उपरोक्त कथन असत्य पाए जाने पर हमारी सूचीबद्धता तत्काल रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर : ______________ दिनांक : __________ मुहर :

प्रपत्र 3 : आपूर्ति क्षमता वचन-पत्र

मैं / हम ____________________________ (एजेंसी का नाम) यह वचन देते हैं कि :

- हम बोली दस्तावेज़ के साथ संलग्न सूची के अनुसार विदेशी एवं भारतीय दोनों प्रकार के प्रकाशनों की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।
- सभी अध्ययन सामग्री बाजार में उपलब्ध नवीनतम संस्करण अथवा ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट संस्करण की ही आपूर्ति की जाएगी।
- आपूर्ति की गई सामग्री नई होगी — पुरानी, क्षतिग्रस्त अथवा गायब पृष्ठों वाली नहीं होगी।
- भारतीय प्रकाशनों की आपूर्ति 30 दिन तथा विदेशी प्रकाशनों की 90 दिन के भीतर की जाएगी।

हस्ताक्षर : __________________ दिनांक : ____________ मुहर :

प्रपत्र 4 : कार्टेल न बनाने का घोषणा-पत्र

मैं / हम ______________________________ (एजेंसी का नाम) घोषणा करते हैं कि :

- हम किसी अन्य एजेंसी के साथ मिलकर कार्टेल नहीं बनाएँगे।
- हम अन्य एजेंसियों के समर्थन में कोई दिखावटी (support) कोटेशन प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- ऐसा करते पाए जाने पर हमें बोली प्रक्रिया से रोका तथा भविष्य के लिए वंचित किया जा सकता है।

हस्ताक्षर : ____________________ दिनांक : ______________ मुहर :

प्रपत्र 5 : पिछले तीन वर्षों के आपूर्ति आदेशों का विवरण

क्र.	ग्राहक संस्थान का नाम	आदेश दिनांक	आदेश मूल्य (रु.)	स्थिति (पूर्ण/लंबित)
1				
2				
3				
4				
5				

(प्रत्येक आदेश के लिए दस्तावेजी प्रमाण — आपूर्ति आदेश की प्रति — संलग्न करें।)

हस्ताक्षर : ____________________ दिनांक : ______________ मुहर :

प्रपत्र 6 : ग्राहक संस्थानों की सूची

पिछले तीन वर्षों में जिन सरकारी / शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन सामग्री की आपूर्ति की गई :

क्र.	संस्थान का नाम एवं पता	संपर्क अधिकारी	वर्ष
1			
2			
3			
4			
5			
6			

हस्ताक्षर : ________________ दिनांक : ____________ मुहर :

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन प्राप्ति दिनांक	
सभी प्रपत्र एवं दस्तावेज़ पूर्ण (हाँ / नहीं)	
पात्रता शर्तें सत्यापित (हाँ / नहीं)	
पंजीकरण संख्या	
सूचीबद्धता अवधि (से — तक)	
लेखाकार के हस्ताक्षर	
कार्यालय प्रमुख का अनुमोदन	